राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–629/2018/अलवर

मैसर्स संतरा देवी पत्नी श्री बोदन लाल महाजन,
निवासी–बानसूर जिला अलवर ....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक बानसूर, अलवर ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रोहित सोनी
अभिभाषक ....प्रार्थीया की ओर से
श्री रामकिशोर खदाव
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.06.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अलवर द्वितीय (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 18.12.2017 प्रकरण संख्या 276/17 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाके बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित भूमि क्षेत्रफल 2285.54 वर्गगज का पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत बानसूर द्वारा श्रीमती संतरा देवी के हक में दिनांक 07.10.2014 को निस्पादित किया हुआ दिनांक 24.11.2015 को पुनः निस्पादित कर दिनांक 26.11.2015 को पंजीयन हेतु कार्यालय उप पंजीयक बानसूर में प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक ने दस्तावेज में अंकित राशि को ही मूल्यांकन मानकर दस्तावेज को पंजीबद्ध कर पक्षकार को लौटा दिया गया। महालेखाकार जाँच दल राज0 जयपुर के निरीक्षण में आक्षेप किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम निष्पादन के 8 माह पश्चात् पुनः निस्पादित होकर पंजीयन हेतु पेश होने से कन्वेन्स की दर से मूल्यांकन का आक्षेप गठित कर 5,32,140/– रूपये का आक्षेप गठित किया गया। उप पंजीयक द्वारा अप्रार्थीया को धारा–54 का नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीया द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में रैफरेन्स किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए रैफरेन्स यथावत स्वीकार किया तथा दस्तावेज की मालियत 98,73,540/– रूपये

लगातार.....2

निर्धारित की। तद्नुसार कमी मुद्रांक कर 3,94,450/— रूपये, सरचार्ज 39,450/— रूपये व पंजीयन शुल्क 98,240/— रूपये कुल 5,32,140/— रूपये, शास्ति 1,33,040/— रूपये व ब्याज 1,31,620/— रूपये कुल 7,96,800/— रूपये प्रार्थीया से वसूल करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। प्रकरण में विचाराधीन बिन्दु एवं तथ्यों को देखते हुए उभयपक्ष की सहमति पर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना उचित मानते हुए बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है। रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। इन्होंने निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है। रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार जांच की है व न ही अपने निर्णय में तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा निष्पादित दिनांक 07.10.2014 पुनः निष्पादित दिनांक 24.11.2015 पर मुद्रांक कर कनवेन्स की दर से किस विधिक प्रावधान

लगातार.....3

के अन्तर्गत देय है, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"..... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

लगातार.....4

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 18.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2018 को पेश हों।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य